बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0–06/ड्राई0 स्कूल (अपील)–32/2017............... पटना, दिनांक :–

उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजिनियरिंग स्कूल, नवादा के सचिव द्वारा उक्त स्कूल की अनुज्ञप्ति सं0–01/1994 के नवीकरण हेतु आवेदन जिला पदाधिकारी, नवादा के समक्ष समर्पित किया गया था।

उमा मोटर ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति की अवधि दिनांक–31.12.2013 को समाप्त हो गयी थी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु दिनांक–26.12.2014 को जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को आवेदन दिया गया था।

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–25 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के 60 दिनों के अंदर नवीकरण का आवेदन देना आवश्यक है, जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन लगभग एक वर्ष पश्चात समर्पित किया गया।

समय पर नवीकरण शुल्क जमा नहीं करने का कारण संचालक द्वारा स्वयं एवं अपनी पत्नी की अस्वस्थता बतायी गयी।

जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–1453 दिनांक–16.10.2017 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–01/1994 के नवीकरण आवेदन को संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मगध प्रमंडल, गया के जाँच प्रतिवेदन, जिसमें उमा मोटर ट्रेनिंग स्कूल, नवादा को कई त्रुटियों एवं अर्हक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने तथा व्यावहारिक रूप से संचालित नहीं पाया गया, के आधार पर अस्वीकृत किया गया है।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–29 के अनुसार नियम–24 के उपनियम (5), नियम–25 या नियम–28 के अधीन अनुज्ञापन पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर मोटरयान विभाग के अध्यक्ष को अपील कर सकेगा। अपील आवेदन के साथ पारित आदेश की प्रमाणित प्रति एवं नियम–32 में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होनी चाहिए।

उक्त अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध सचिव, उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजीनियरिंग स्कूल, नवादा द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष दिनांक–06.12.2017 के आवेदन के माध्यम से अपील किया गया।

जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–1453 दिनांक–16.10.2017 द्वारा उक्त स्कूल की अनुज्ञप्ति सं0–01/1994 के नवीकरण आवेदन को अर्हक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने तथा व्यावहारिक रूप से संचालित नहीं पाये जाने के आधार पर अस्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपील आवेदन दिनांक–06.12.2017 को दायर किया गया।

जिला पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अस्वीकृति आदेश एवं आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति को अर्हक मापदण्डो के अनुरूप नहीं होने तथा व्यावहारिक रूप से संचालित नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया गया है।

स्पष्टतः अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं भौतिक जाँच के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया गया है, जो कि नियमानुकूल है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजीनियरिंग स्कूल, नवादा के अपील आवेदन दिनांक–06.12.2017 को मापदण्डों के अनुरूप नहीं रहने, व्यावहारिक रूप से संचालित नहीं

पाए जाने, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करने एवं कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/ड्राई0 स्कूल (अपील)–32/2017 3597 पटना, दिनांक :– 31/5/18

प्रतिलिपि :–सचिव, उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजिनियरिंग स्कूल, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

29.05.18
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

153 JF\MLetter

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

सं0–06 / ड्राई0 स्कूल (अपील)–32 / 2017.............. पटना, दिनांक :–

उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजिनियरिंग स्कूल, नवादा के सचिव द्वारा उक्त स्कूल की अनुज्ञप्ति सं0–01 / 1994 के नवीकरण हेतु आवेदन जिला पदाधिकारी, नवादा के समक्ष समर्पित किया गया था।

उमा मोटर ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति की अवधि दिनांक–31.12.2013 को समाप्त हो गयी थी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु दिनांक–26.12.2014 को जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को आवेदन दिया गया था।

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–25 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के 60 दिनों के अंदर नवीकरण का आवेदन देना आवश्यक है, जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन लगभग एक वर्ष पश्चात समर्पित किया गया।

समय पर नवीकरण शुल्क जमा नहीं करने का कारण संचालक द्वारा स्वयं एवं अपनी पत्नी की अस्वस्थता बतायी गयी।

जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–1453 दिनांक–16.10.2017 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–01 / 1994 के नवीकरण आवेदन को संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मगध प्रमंडल, गया के जाँच प्रतिवेदन, जिसमें उमा मोटर ट्रेनिंग स्कूल, नवादा को कई त्रुटियों एवं अर्हक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने तथा व्यावहारिक रूप से संचालित नहीं पाया गया, के आधार पर अस्वीकृत किया गया है।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–29 के अनुसार नियम–24 के उपनियम (5), नियम–25 या नियम–28 के अधीन अनुज्ञापन पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर मोटरयान विभाग के अध्यक्ष को अपील कर सकेगा। अपील आवेदन के साथ पारित आदेश की प्रमाणित प्रति एवं नियम–32 में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होनी चाहिए।

उक्त अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध सचिव, उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजीनियरिंग स्कूल, नवादा द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष दिनांक–06.12.2017 के आवेदन के माध्यम से अपील किया गया।

जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–1453 दिनांक–16.10.2017 द्वारा उक्त स्कूल की अनुज्ञप्ति सं0–01 / 1994 के नवीकरण आवेदन को अर्हक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने तथा व्यावहारिक रूप से संचालित नहीं पाये जाने के आधार पर अस्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपील आवेदन दिनांक–06.12.2017 को दायर किया गया।

जिला पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अस्वीकृति आदेश एवं आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति को अर्हक मापदण्डो के अनुरूप नहीं होने तथा व्यावहारिक रूप से सचालित नही पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया गया है।

स्पष्टतः अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं भौतिक जाँच के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया गया है, जो कि नियमानुकूल है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजीनियरिंग स्कूल, नवादा के अपील आवेदन दिनांक–06.12.2017 को मापदण्डों के अनुरूप नहीं रहने, व्यावहारिक रूप से संचालित नहीं

पाए जाने, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करने एवं कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/ड्राई0 स्कूल (अपील)–32/2017 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–सचिव, उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजिनियरिंग स्कूल, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/ड्राई0 स्कूल (अपील)–32/2017 3597 पटना, दिनांक :– 31/5/18

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, नवादा/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29.05.18
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।